

(नियम 8 के का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

कक्षा-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/का-मान्यता/सम्बद्धता/अप-टो-ई. जयपुर परिचय / 411 / 2012 दिनांक:- 9/11/12

संस्था पत्रिका

~~महारीर पब्लिक स्कूल~~
~~वर्चमान पथ, महावीर नगर~~
~~सी-सी 3 जयपुर~~

विषय: नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता / सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 20.1.12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पञ्चासवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं..... विद्यालय अधिकाारी प्रा. शि. जयपुर.....
..... (विद्यालय का नाम और पता) :.....
महारीर पब्लिक स्कूल का
1.4.12 से कक्षा 6/
से 08 तक के लिये मान्यता/सम्बद्धता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिये मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अनर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छत्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और प्रार. शिक्षा की समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/ विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षकों को किसी छंटाई प्रक्रिया का भाग नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:-

PRINCIPAL
Mahaveer Public School
JAYPUR

- (i) विद्यालय में गोबर कचरा बालक को, विद्यालय में नुकीला प्रयोग नही किया जायेगा ;
 किरसी कक्षा में पंका या विद्यालय में विकसित नही किया जायेगा ;
- (ii) कॉलेज बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
- (iii) किरसी बालक से उसकी प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक किरसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ;
- (v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/ विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;
- (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाये ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परनुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिंत करेगें ;


- (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है ; और


(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें ।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेगें ।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा- विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेगें । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र- प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिये पृथक-पृथक : पीछपर
- पीने के पानी की सुविधा
- पीड डे- पील पकान के लिये रसाईं

अवरोध  **Mahaveer Public School**
 JALPUR



विद्यालय प्रशासनिक प्रयोग और जाहिर उपाय नाम से कांटेड मंत्र मान्यता प्राप्त के साथ नहीं चलाई जाएगी।
विद्यालय भवन जो अन्य परिसरों या मरदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए
संरक्षण में लिये जायेंगे।

विद्यालय संरक्षकों के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21),
संरक्षण संरक्षकों के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन
नियंत्रित किसी संस्थापक द्वारा या तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा
कामकाज का है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं
कामकाज का है।

15. किन्हीं जॉर्ड्स एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार
सम्बन्धित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारियों को नॉडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

14. अकाउंट विद्यालय को आवंटित मान्यता/सम्बद्धता कोड संख्या (RJ/BEEO/JPR/WEST/2012-
13/0005...) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिये
इसे संतुष्ट किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों के ऐसे निदेशों
का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यक्रम में त्रुटियों का
इलाज करना सुनिश्चित करने के लिये उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. संरक्षकों के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

Signature

PRINCIPAL
Sahaveet Public School
जिला शिक्षा अधिकारी

Signature

Signature
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर